

(1)

(1)

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

चिन्हाम- राज्य
पंचांग- 1/2002

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 2002

इक घर द्वारा आवेदन पत्र विकल्प की तिथि - 25 जनवरी 2003

आयोग द्वारा आवेदन पत्र र्गीकार किए जाने की अन्तिम तिथि - 21 फरवरी 2003

आधिकारियों के लिए आवश्यक रूचना

1. इनाम सम्बन्धी का लिंकार्ड <http://www.uppsc.org.in> पर नीचे दिया है।

2. 1993 में दिया गया एस.एस.आर.आवेदन पत्र विकल्प का आवेदन में नीचे दिया है।

7(2) में 'नियांसित' इक घर से मूल्य के आधार पर उपलब्ध होने वाले कामों का उत्तर प्रदेश विभाग, जनरल परीक्षा तथा भौतिक विभाग (स्पेशल) विकल्प का आवश्यक रूप से 215/- तथा और औरोज (स्पेशल प्रदेश के जनरल राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी एक राज्यालय के विकल्प हेतु) वा मूल्य रु. 125/- होगा। भूतानुरूप सैविको के लिए आवश्यक रूप से 100/- वा युवा उनको पूर्ण शेषी के अनुसार होगा।

3. उत्तर प्रदेशी नियांसित पात्र तथा अभियोजियों के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रण विभाग विभाग के लिए आवेदन द्वारा तथा परमार्थागत आवेदन पत्र के साथ कुप्राप्त करना चाहिए।

4. इनाम सम्बन्धी इक घर प्रदेश इलाजावाद उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा शास्त्रीय सहायक अभियोजियों को 57 पदों पर नियुक्ति हेतु अध्यक्षियों के वयन हेतु वर्ष 2003 में आयोग द्वारा इलाजावाद तथा लखनऊ के नियांसित केन्द्रों पर एक प्रतोक नियंत्रण परीक्षा का आयोजन करेगा। इन 57 पदों में से यात्रावाद की 27 अनुरूचित जाति की 13 तथा अन्य पिछड़ वर्ग की 17 रिक्तियाँ हैं।

5. इनाम सम्बन्धी नियांसित द्वारा जनरल विभागों का अध्यायान्तर सूचीयों के लिए जीवन की जीवनी।

6. नियांसित द्वारा होने पर यथावधारक पारिवारिक परीक्षा में जारी होने चाहिए है।

2. नियांसित द्वारा दाखिल आसामन्न नियांसितियों में सह वह सहना है।

3. आरक्षण : हीनिज आरक्षण राज्यालय के विकल्पालय, स्वतंत्रता दायाप संसारी का आवश्यक रूप से 100% विदेशी अभियोजियों को सद्वितीय आरक्षण देय होगा।

उत्तर (1) आरक्षण का लाभ याहो याहो अभियोजित आरक्षण शेषी द्वारा दिया जाएगा। यह प्राप्ति द्वारा दिया जाएगा। यह सक्षम अधिकारी द्वारा जारी द्वयान्-प्रति प्राप्त करने के लिए एक विशेष विभाग के साथ सलग करे।

2. इक द्वारा सामने आरक्षित शेषी द्वारा दाया देने वाले अभियोजियों को नियंत्रण के लिए वह द्वारा दिया जाएगा।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अनुरूचित जाति अनुरूचित जनजाति को लिए उत्तर प्रदेश आयोजियों को आरक्षण का लाभ अनुप्रयोग नहीं है। ऐसे अभियोजित राज्यालय विभाग के लियांसित आवेदन पत्र जमा करे तथा आरक्षण हेतु आवेदन न करे। (4) उत्तर प्रदेश के बाहर के लाभ अनुरूचित जाति अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। अनुरूचित जाति अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। अनुरूचित जाति अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

4. वारासान - 6500-10500

5. नियांसित अहेतुपात्र : आवेदन पत्र पात्रिक की अन्तिम तिथि तक अध्यायालय के लिए दिया जाएगा।

6. आपाध जातिय धारिय करना चाहिए।

अधिकारी अहेतुपात्र की वारासान की तारीख दिन वारा अपाधिकारी द्वारा उत्तरायन दिया जाए।

अन्यांसित सम्बन्धी में दो वर्गों की व्यवस्था अवधिकारी तक सेवा की हो 2. राष्ट्रीय कौलेट कोर का दो प्रमाणन हो।

6. आयु : (1) अभियोजियों को 01 जुलाई 2002 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करना चाहिए तो वह 35 वर्ष की अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। अर्थात् उनका जन्म 02.07.1967 से पूर्व तथा 01.07.1981 के बाद का नहीं होना चाहिए।

कृष्णसिंह

मानविका एवं सश्वत व्यायालय/एस.एस.आर.आवेदन
सिविल के दिल्ली अपाधी के विभाग के मिशन
कानून नाम